न्यायालय राजस्व मण्डल, म0प्र0 ग्वालियर

समक्ष : श्री एम0के0सिंह

सदस्य

निगरानी प्रकरण कमांक 5 पीबीआर/2015 विरूद्ध आदेश दिनॉक 21-12-2015 -पारित व्दारा - अनुविभागीय अधिकारी सिरोंज जिला विदिशा - प्रकरण कमांक 173/2011-12 अपील

कपिल त्यागी पुत्र हरीशॅकर
मोहल्ला रोहितपुरा सिरोंज जिला विदिशा ---आवेदक

विरूद्ध

बहीदा बी मृतक वारिस

अ- शारिक हासमी पुत्र कदीर हासमी
काला बाजार सिरोंज विदिशा

ब- कदीर हासमी पुत्र बहीदा बी पुत्र नसीर मोहम्मद
मोहल्ला कालामहल सिरोंज जिला विदिशा

स- नजीर हासमी पुत्र बहीदा बी पुत्र नसीर मोहम्मद
मोहल्ला किडी सिरोंज जिला विदिशा

द- छम्मन बी पुत्री बहीदन बी पिता नसीर मोहम्मद
पति अमीर निवासी किडी सिरोंज जिला विदिशा

2- सगीर खॉ पुत्र बहीदा वी निवासी काला मह
सिरोंज जिला विदिशा

3- सल्लन बी पुत्र बहीदन वी पिता नसीर मोहम्मद
पति चुन्नू खॉ मोहल्ला पचकईया सिरोंज विदिशा

4- फरीदा वी पुत्री बहीदन बी पति कमर खॉ
निवासी मोहल्ला पचकुरिया सिरोंज विदिशा
5- बहीद खॉ पुत्र अब्दुल रसीद खॉ
6- लतीफ खॉ पुत्र अब्दुल रसीद खॉ
निवासीगण शकूर खॉ गली सिरोंज विदिशा
7- हाफिज मेहमूद खां 8- हामिद खॉ
9- हबीब खॉ 10- सईदन बी पुत्र/पुत्री
नन्नेखॉ निवासी मोहल्ला किडी सिरोंज
11- शफीका बी पुत्री अब्दुल रसीद खॉ
12- रईसा बी पुत्री अब्दुल रसीद खॉ
निवासीगण मोहल्ला किडी सिरोंज जिला विदिशा--अनावेदकगण

(आवेदक के अभिभाषक श्री बिनोद श्रीवास्तव)
(अनावेदकगण के अभिभाषक श्री चन्द्रेश श्रीवास्तव)

आ दे श
(आज दिनांक 14-2-2017 को पारित)

यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी सिरोंज जिला विदिशा व्दारा प्रकरण क्रमांक 173/11-12 अपील में पारित अंतरिम आदेश दिनांक 21-12-15 के विरुद्ध म0प्र0भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण का सारॉश यह है कि कस्वा सिरोंज स्थित (तहसीलदार सिरोंज के प्रकरण क्रमांक 34 अ76/10-11 में पारित आदेश दिनांक 25-11-11 में दर्शाई गई भूमि) कुल कितस 9 के भूमिस्वामी अब्दुल रसीद की मृत्यु हुई, जिस पर से तहसीलदार के न्यायालय में नामान्तरण आवेदन आने पर पक्षकारों को सुनकर

आदेश दिनांक 25-11-11 पारित किया गया तथा मृतक के वारिसान का नामान्तरण किया गया। इस आदेश के विरूद्ध अनुविभागीय अधिकारी सिरोंज के यहॉ दिनॉक 16-8-12 को अपील प्रस्तुत हुई। अनुविभागीय अधिकारी सिरोंज ने प्रकरण क्रमांक 173/11-12 अपील में पारित अंतरिम आदेश दिनांक 21-12-15 से अवधि विधान की धारा-5 का आवेदन स्वीकार कर अपील प्रस्तुत करने में हुये विलम्ब को क्षमा कर दिया। इसी अंतरिम आदेश के विरूद्ध यह निगरानी हैं

3/ निगरानी मेमो में अंकित आधारों पर उभय पक्ष के अभिभाषकों के तर्क सुने तथा अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख का अवलोकन किया गया।

4/ आवेदक के अभिभाषक का तर्क है तहसीलदार सिरोंज व्दारा नामान्तरण प्रकरण में विधिवत् इस्तहार का प्रकाशन किया गया है तथा मृतक के वारिसान को पक्षकार बनाया गया है एंव अनावेदकगण को तहसीलदार के प्रकरण की समस्त जानकारी रही है इसके वाद भी अनुविभागीय अधिकारी ने जानबूझकर अनुचित विलम्ब को क्षमा करने में भूल की है इसलिये निगरानी स्वीकार की जाय।

अनावेदकगण के अभिभाषक का तर्क है कि जब सईद खॉ एंव लतीफ खॉ ने भूमि पर कब्जा करने की मौके पर जाकर धोंस दी है एंव भूमि उनके नाम होने का तथ्य बताया है तब प्रथम वार 6-8-12 को उन्हें तहसीलदार के आदेश की जानकारी हुई है इसलिये अनुविभागीय अधिकारी ने विलम्ब सही क्षमा किया है इसलिये निगरानी निरस्त की जाय।

5/ उभय पक्ष के अभिभाषकों के तर्को पर विचार करने एंव अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख के अवलोकन से परिलक्षित है कि तहसीलदार सिरोंज के प्रकरण क्रमांक 34 अइ-6/10-11 में पारित आदेश दिनांक 25-8-11 के विरूद्व बहीदा वी ने प्रथम अपील अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष दिनांक 16-8-12 को प्रस्तुत की है जो 11 माह के विलम्ब से है। आवेदक के अभिभाषक ने बताया है कि कस्बा सिरोंज स्थित भूमि सर्वे क्रमांक 1248, 1249, 1255 कुल किता 3 कुल रकबा 2.516 हैक्टर रिकार्डेड भूमिस्वामी से क्रय की है एंव पंजीकृत विक्रय पत्र को चुनौती राजस्व न्यायालय में नहीं दी जा सकती। अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष बेरूम्याद अपील है। यह सही है कि अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष 16-8-12 को प्रस्तुत अपील 11 माह से अधिक विलम्ब से है एंव अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष अपीलकर्ता व्दारा अवधि विधान की धारा-5 का आवेदन दिया है जिसके अवलोकन से परिलक्षित है कि इस आवेदन में दिन-प्रतिदिन के विलम्ब का हिसाव नहीं दिया गया है। समग्र विचारोपरांत स्थिति यह है कि :-

1. भू राजस्व संहिता 1959 (म0प्र0)- धारा 47 सहपठित परिसीमा अधिनियम 1963 की धारा-5 - अनुचित विलम्ब को क्षमा करके एक पक्षकार को लाभ देते हुये द्वित्तीय पक्षकार को प्रोदभूत मूल्यवान अधिकार को विनष्ट नहीं किया जा सकता। (स्टेट आफ एम0पी0 विरूद्व सवजीराम 1995(2) म0प्र0वी0नो0 193)
2. परिसीमा अधिनियम की धारा-5 - विलम्ब क्षमा किये जाने के समुचित कारण दर्शाने में विफलता पाई गई। विलम्ब क्षमा नहीं किया जा सकता। (स्टेट आफ एम0पी0विरूद्व फकीरचंद 1980(2) म0प्र0वी0नो0 199)

अनुविभागीय अधिकारी सिरोंज के अंतरिम आदेश दिनांक 21-12-15 के अवलोकन से प्रतीत होता है कि उन्होंने अनुचित विलम्ब क्षमा करते समय उक्त पर ध्यान नहीं दिया है जिसके कारण उनके व्दारा पारित आदेश दिनांक 21-12-15 स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी स्वीकार की जाकर अनुविभागीय अधिकारी सिरोंज जिला विदिशा व्दारा प्रकरण क्रमांक 173/11-12 अपील में पारित अंतरिम आदेश दिनांक 21-12-15 त्रृटिपूर्ण होने से निरस्त किया जाता है। फलस्वरूप तहसीलदार सिरोंज व्दारा प्रकरण क्रमांक 34 अइ-6/10-11 में पारित आदेश दिनांक 25-8-11 यथावत् रहता है।

(एम0के0सिंह)
सदस्य
राजस्व मण्डल
मध्य प्रदेश ग्वालियर